न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (जू०डि०) कक्ष संख्या– 29, प्रतापगढ़

दिनांक– 17.01.2026

निस्तारण वर्चुअल ट्रैफिक चालान

प्रस्तुत मुकदमा न्यायालय में सी०आई०एस० पर वर्चुअल चालान के रूप में प्राप्त हुआ है। आज पुनः आरोपी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

न्यायालय द्वारा सी०आई०एस० एवं मोबाइल नंबर द्वारा आरोपी को विगत कई तिथियों पर सूचना भेजी गयी है, परन्तु इसके पश्चात भी आरोपी न्यायालय उपस्थित नहीं हुए हैं। स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा भी मामले को अग्रसारित करने में कोई रुचि दिखाई नहीं गयी है। न्यायालय के द्वारा किये गये सभी प्रयासों एवं अभियोजन द्वारा मुकदमें के निस्तारण में कोई रुचि न लेने के कारण एक वर्ष से अधिक समय से मुकदमा लंबित है एवं ऐसे में, उपरोक्त मुकदमा को अग्रसारित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय, केरल द्वारा पारित निर्णयन विधि **SUO MOTU HIGH COURT OF KERALA, ERNAKULAM vs. STATE OF KERALA – O.P(CRL.). NO.809 OF 2023** को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मुकदमें को धारा 281 बी०एन०एन०एस० के अंतर्गत समाप्त किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रस्तुत वर्चुअल ट्रैफिक चालान केस समाप्त किया जाता है।

(शिप्रा सिंह– I)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (जू०डि०)
कक्ष संख्या– 29, प्रतापगढ़

Digitally signed by SHIPRA SINGH
Date: 2026.01.17 17:08:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court